परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	सुखद सहारा योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के विधव तथा 18 वर्ष या अधिक आयु के परित्यक्ता महिलाओं को राशि 500रू प्रतिमाह पेंशन भुगत की जाती है।	1350000	लगभग 218494 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
2	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नाचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को राशि रू. 500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है:- (1) 6-17 आयु वर्ष के नि:शक्त बच्चे (जिसमें 6-14 आयु वर्ष के बच्चे अध्ययनरत हो) (2) 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य नि:शक्त व्यक्ति एवं बौने व्यक्ति	2650000	लगभग 455986 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
3	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए एस.ई.सी.सी.-2011 का स्वत: शामिल सूचकांक तथा वचन सूचकांक के कम से कम एक वचन सूचकांक के साथ वाले परिवार को शामिल करते हुए वृद्धजनों, विधवा/परित्यक्त महिलाओं के लिए राशि रू. 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	4500000	720193 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
4	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जा पर परिवार के वारिस को रूपये 20000/- एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	200000	लगभग 5270 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
5	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 60-79 आयु वाले वृद्धों के लिए रूपये 500 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु वाले के लिए रूपये 650 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	4000000	60-79 वर्ष के 532646 हितग्राही तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के 107761 हितग्राही, इस प्रकार कुल 640407 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
6	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 40 से 79 वर्ष तक के आयु वाली विधवा को रू. 500/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	1320000	40 से 79 वर्ष वर्ग के लगभग 217473 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
7	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 18 से 79 वर्ष तक के आयु वाले गंभीर एवं बहु दिव्यांग व्यक्ति के लिये रू. 500/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	200000	33237 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
8	दिव्यांगजनों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं व अनुदान	योजना अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय करना	20000	**1.** 45 संस्थाओं को अनुदान **2.** भवन किराया कुल व्यय 70 प्रतिशत, कार्यालय व्यय 2000/- **3.** अंत:वासी के भरणपोषण हेतु रू. 600/- प्रतिमाह **4.** कर्मचारियों का वेतन/मानदेय **5.** लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 2954 **6.** भवन किराया का कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रू 2000	
9	बिलासपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	नि:शक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं पुनर्वास	21100	नि:शक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना एवं पुनर्वास	

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
10	फिजिकल रिफरेल रिहबलीटेशन सेंटर की माना में स्थापना	अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र की स्थापना	19892	591 हितग्राहियों को लाभान्वित	
11	विश्व दिव्यांग दिवस	विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों व प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान	10000	**1.** सर्वोत्तम नि:शक्त व्यक्ति 5001/- **2.** सर्वोत्तम नियोक्ता (नि:शक्त वयक्तियों के संदर्भ में रूपये 10000/-) **3.** सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था रूपये 5000/- **4.** सर्वोत्तम जिला-शिल्ड	
12	प्रमस्तिष्क अंगाघात नि:शक्तजनों हेतु उपचार एवं पुनर्वास संस्थान	प्रमस्तिष्क अंगाघात (सेलेब्रल पॉलिसी के नि:शक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना)	10700	सेलेब्रल पॉलसी के नि:शक्जजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करायी जावेगी। लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या - 307 लाभान्वित हितग्राही की संख्या-241 फॉलोअप वर्षभर की संख्या 3164 (सिटिंग मरीज)	
13	प्रशामक गृह की स्थापना	वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी (जैसे-डिमेशिया) एवं बिस्तर पर पड़े व्यक्ति/अंतिम अवस्था में पहुँचे व्यक्तियों के देखभाल के लिए प्रमाशक देखरेख गृह की व्यवस्था	10000	25 बिस्तर वाले प्रशामक गृह प्रदेश के समस्त जिल में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।	
14	दिव्यांगजन सामर्थ्य विकास	नि:शक्त सामर्थ्य विकास अंतर्गत शारिरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं ट्रायसायकल नि:शुल्क प्रदाय किया जाता है	35000	1107 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
15	स्थानीय स्तर समिति को सहायता	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत जिलों में स्थानीय स्तर पर लोकल लेवल कमेटी का गठ	350		

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
				जिलों को रू. 20000 का अंशदान दिया जाता है	
16	दिव्यांगजनों के लिये शासकीय शाला विशेष विद्यालय तथा संस्थाएं	बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए सरगुज नारायणपुर एवं बालकों हेतु बीजापुर, दृष्टि एवं श्रवण बाधित बालक/ बालिकाओं के लिए जशपुर तथा श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय जशपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कोरिया, महासमु एवं कांकेर में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना।	370000	1395 बच्चों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था	
17	दिव्यांग कल्याण कोष का गठन	नि:शक्त व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाने के लि विभिन्न आवश्यक कार्यो का सम्पादन करना	2000	नि:शक्त व्यक्तियों का कौशल उन्नयन संसाधनों का वितरण एवं अन्य सुसंगत कार्य।	
18	राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम नि:शक्तजन	ग्रामीण क्षेत्र के नि:शक्त व्यक्तियों को उनके निवास तक सेवाएं व संसाधन उपलब्ध कराना	40000	विभागीय योजनाओं के तहत कुल 26000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जावेगा	
19	समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थाओं को सहायता अनुदान	देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं का संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।	7500	प्रदेश के 250 देखरेख की आवश्यकता वालें बच्चों, निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं को लाभांवित करना।	
20	दिव्यांगजनों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं व अनुदान (सामान्य)	नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण प्रशिक्षण, आवास व पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ।	60000	42 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान । अत:वासी बच्चों के भरण-पोषण हेतु रूपये 600/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रूपये 2000 कर्मचारियों का वेतन/मानदेय	

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
21	उत्थान सब्सिडी योजना	नि:शक्त जनों को ऋण पर सब्सिडी	500	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
22	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, प्रचार-प्रसार एवं वृद्धाश्रम बहुसेवा केंद्र संचालन	60000	710 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, संरक्षण एवं सुरक्षा	
23	उभयलिंगी समुदाय से संबधित कार्यक्रम एवं योजना	उभयलिंगी कल्याण बोर्ड, पृथक से अधिनियम, वास्तविक आकड़ों के संबंध सर्वे, जनजागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार, सम्मेलन, कार्यशाला इत्यादि कार्य किये जायेगें ।	19108	**1.** छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड का गठन **2.** राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के वास्तविक आकड़ों के संबंध में सर्वेक्षण । **3.** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं र समन्वय **4.** छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के प्रति जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार	
24	बुजुर्गो को संरक्षण	बुजुर्गो के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का सुदृढ़ीकरण एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्रों की स्थापना	9000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
25	दिव्यांग स्वाभिमान एवं संबल योजना	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास एवं दीर्घ कालिक आर्थिक अधिकारिता विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता	12000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
26	दिव्यांगजनों को छात्रवृत्ति	नि:शक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	27000	8090 विकलांग छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करना	
27	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	नि:शक्त व्यक्तियों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान, बौद्धिक विकास को बढ़ावा,	3000		

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		सामाजिक पुनर्वास आर्थिक स्वावलंबन को विकसित करना		माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) सर्वाधिक अंक-5000 एकमुश्त स्नातक/स्नातकोत्तर (कला/वाणिज्य/विज्ञान) न्युनतम 5(प्रतिशत अंक-6000 एकमुश्त चिकित्सकीय/तकनीकी/व्यवसायिक 50 प्रतिशत अंक-12000 एकमुश्त प्रदान की जाती है	
28	दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	नि:शक्त जन सिविल प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन	2500	दिव्यांगजन सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रेरित करने आर्थिक सहयोग प्रदान करना तथा समाज की मुख्यधारा में जोड़कर उनका सामाजिक पुनर्वास करना	
29	दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं ऑनलाई पंजीयन	नि:शक्तजनों का शतप्रतिशत प्रमाणीकरण, पात्र नि:शक्तजनों का ऑनलाईन पंजीकरण यूनिक आई.डी. नम्बर प्रदान कर डाटाबेस तैयार करना एवं पर्यवेक्षण	200	शासन द्वारा लाभान्वित योजनाओं के संदर्भ में एस.एम.एस के माध्यम से आटो अलर्ट प्रेषित किया जाना	
30	दिव्यांगजन विद्यार्थी के लिये छात्रगृह योजना	नि:शक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा हेतु सहायत एवं अध्ययन का अवसर	300	40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तजन शिक्षण संस्थन से आवेदक का मूल निवास की दूरी 20 कि.मी. से अधिक हो	
31	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	नि:शक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वालंबी बनाने हेतु नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू की ग है, एक नि:शक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु रू. 50,000/- तथा दोनो नि:शक्त होने पर रू. 1,00,000/- राशि प्रोत्साहन राशि एकमुश्त देने का प्रावधान है ।	40000	18 वर्ष से 45 वर्ष तक महिलाएं 21 से 45 वर्ष पुरूष (नि:शक्त) के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदा करना । लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या-208	

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
32	भारतीय कुष्ठ निवारक संघ संस्था को अनुदान	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ जांजगीर में स्वैच्छिक संस्था संचालित	1400	कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास	
33	घरौंदा योजना	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के नि:शक्त व्यक्तियों को जीवन पर्यन्त आश्रय प्रदान करने हेतु घरौंदा योजना प्रारंभ किया गय है।	35000	05 संभाग में नि:शुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करना	
34	नशाबंदी कार्यक्रम	प्रदेश में नशामुक्ति के पक्ष में मादक द्रव्य एवं नशीले पदार्थो के दुष्परिणामों के विरूद्ध जागरूकता विकसित किया जाना	25000	रैली, पोस्टर, होल्डिंग्स, नाटक, गीत, नृत्य, प्रदर्शनी तथा शासकीय/अशासकीय कलाकारों सांस्कृतिक कार्यक्रम	
35	छत्तीसगढ़ योग आयोग	योग आयोग नियम-2017 के नियम 2(23) के अनुसार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संभाग, जिले, वि.ख. एवं नगर पंचायत स्तर पर आवश्यक उपाय एवं कदम उठाएगा ।	60000	छत्तीसगढ़ राज्य के जिलावार, विकासखण्डवार एवं सभी 10976 ग्रामपंचायतों में नियमित योगाभ्यास करा जाना	
36	जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र	नि:शक्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराना	3700	09 जिला नि:शक्त केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य।	
37	हॉफ-वे-होम	मानसिक रोगियों का उपचार उपरांत उनके पुनर्वा के लिए केन्द्र का संचालन किया जाना	35000	ऐसे केन्द्रों में 50 हितग्राही के मान से पुनर्वास करने का प्रावधान है। वर्तमान में 63 हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य।	
38	मानसिक बीमार महिलाओं के लिए योजना (अपराजिता)	मानसिक रोगियों का उपचार उपरांत उनके पुनर्वा के लिए केन्द्र का संचालन किया जाना	13100	ऐसे केन्द्रों में 50 हितग्राही के मान से पुनर्वास करने का प्रावधान है। वर्तमान में 160 हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य।	

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
39	भारत माता वाहिनी योजना	नशामुक्ति के पक्ष में महिलाओं द्वारा प्रचार-प्रसार एवं अन्य कार्यक्रम	200000	महिला समूहों के माध्यम से नशामुक्ति के पक्ष में जनमत विकसित करना तथा विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करना	
40	सियान हेल्प लाईन टोल फ्री नम्बर	वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजनों, उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याणर्थ एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न योजना/कार्यक्रम का संचालन	13000	आवश्यकता के अनुरूप आपातकालीन सेवायें, संसाधन परामर्श, शिकायत एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय हेल्पलाईन 155326 एवं टोलफ्री नम्बर 188-233-8989 का संचालन किया जाना	
41	छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड	केश शिल्पी अंतर्गत व्यवसाय में संलग्न संवर्गो के समग्र कल्याण एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया गया है।	10000	लगभग 31 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य	